

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: एफ. 11(3)(10)/मो./आईसीडीएस/2019-20/82846 जयपुर, दिनांक 11/5/19

आदेश

प्रदेश में व्याप्त अत्यधिक गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त आगंबाडी केन्द्रों का समय प्रातः 8:00 AM से 12:00 PM तक के स्थान पर दिनांक 01.05.2019 से प्रातः 7:00 AM से 10:00 AM तक एतद् द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार सहित समस्त गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जायेगी।

उक्त समय परिवर्तन दिनांक 30.06.2019 तक प्रभावी रहेगा। उसके उपरान्त कार्य समय पूर्ववत रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिकों/मानदेयकर्मियों के समय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मानदेयकर्मी (आगंबाडी कार्यकर्ता) 10.00 बजे उपरान्त गृह सम्पर्क का कार्य करेगी।

www.rajteachers.com


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ. 11(3)(10)/मो./आईसीडीएस/2019-20/82847-83517 जयपुर, दिनांक 11/5/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य मंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जन स्वास्थ्य) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त कलेक्टर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
8. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त) को इस निर्देश के साथ कि समय परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, जिससे कोई लाभान्वित होने से वंचित न रहे।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को इस निर्देश के साथ कि समय परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, जिससे कोई लाभान्वित होने से वंचित न रहे।
11. कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (मो.)